REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238183 CG-DL-E-18082022-238183

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3678] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944 No. 3678] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

का.आ. 3851(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 549 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
549	148एनए	हरियाणा राज्य में मांडकौला के निकट एनई-4 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		सहराला, कैल गांव के निकट रारा-44 के जंक्शन के साथ, हरियाणा/दिल्ली सीमा,

तालिका

मीठापुर, आली गांव, ओखला, महारानी बाग के निकट डीएनडी को जोड़ते हुए और
<u>हरियाणा राज्य में चांदीवाली गांव (फरीदाबाद) के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होने</u>
<u>वाले और उत्तर प्रदेश राज्य में दयानतपुर गांव (गौतम बुद्ध नगर) के निकट जेवर हवाई</u>
<u>अड्डे पर समाप्त होने वाले स्पर सहित</u> दिल्ली में सराय काले खां के निकट नए एनई-3
के रिंग रोड के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-14012/1/2022-पी ऐंड एम(पार्ट)] राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3136(अ), दिनांकित 8 जुलाई, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

S.O. 3851(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 549 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
549	148NA	The highway starting from its junction with NE 4 near Mandkaula connecting Sahrala, Junction of NH-44 near Kail Gaon, Haryana/Delhi border in the state of Haryana, Meethapur, Aali Gaon, Okhla, DND near Maharani Bagh and terminating at its junction of Ring Road with new NE 3 near Sarai Kale Khan in the state of Delhi <i>including spur starting from its junction near Chandawali village (Faridabad) in the state of Haryana and terminating at Jewar Airport near Dayanatpur village (Gautam Budh Nagar) in the state of Uttar Pradesh.</i>

TABLE

[F. No. NH-14012/1/2022-P&M(Part)] RAJESH GUPTA, Director

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3136 (E), dated 8th July, 2022.